(ख) गुजरात और महाराष्ट्र, विशेषकर कच्छ में पिछले तीन वर्षों के दौरान नमक उद्योग के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन राज्यों में नमक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे है;

(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) देश में उत्पादित सामान्य नमक की लगभग 135 लाख टन की औसतन वार्षिक उत्पादन में से महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा निम्न प्रकार से है:-

महाराष्ट्र	2%
गुजरात	72%

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान नमक उत्पादन में गुजरात और महाराष्ट्र के नमक उद्योग का निष्पादन निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	जिला	"000" टनों में नमक उत्पादन 1995	1996	1997
1.	गुजरात	8,824.4	10,403.5	10,096.2
2.	महाराष्ट्र	224.3	245.9	200.6

गुजरात का कच्छ क्षेत्र गुजरात में कुल उत्पादन में 45 लाख टन से अधिक उत्पादन का योगदान करता है। इस क्षेत्र में उत्पादन का जिला-वार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	जिला	"000" टनों में नमक उत्पादन 1995	1996	1997
1.	कच्छ	2,388.7	2,312.8	2,715.9
2.	सुरेन्द्रनगर	1,822.3	2,155.4	1,505.6
3.	बनासकंठ	313.4	527.3	364.6
जोड़	कच्छ क्षेत्र	4,524.4	4,995.5	4,586.1
जोड़	गुजरात	8,824.4	10,403.5	10,096.2

(ग) नमक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:-

- राज्य सरकारें नमक के विनिर्माण के लिए नये भू-खंडों के आवंटन के लिए अनापत्रि प्रमाण-पत्र जारी कर रही है।
- नवीनतम जानकारी से वैज्ञानिक आधारों पर नमक कारखानों की व्यवस्था करने के लिए तकनीकी दिशानिर्देश जारी किये गये है,
- खाद्य, औद्योगिक प्रयोजन और निर्यात के लिए गुणवत्ता वाले नमक की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, राज्यों में नमक परिष्करणशालाओं की अनुमति की जा रही है।
- बाढ़ से प्रभावित होने के उपरान्त नमक कारखानों को अपना उत्पादन पुनः शुरू करने के लिए प्रभावित नमक कारखानों को वित्तीय सहायता के माध्यम से पुनर्वास संबंधी उपायें किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) नमक उपकर आय से अनेक श्रम कल्याण और विकासात्मक कार्यों हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इन कार्यों में चिकित्सा सुविधाओं पीने के पानी की सुविधाओं शैक्षणिक सुविधाओं, कार्य स्थलों पर आराम शेडों एवं क्रैचों और श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। विगत तीन वर्षों में श्रम कल्याण और विकासात्मक कार्यों के लिए प्रदत्र सहायता का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	राशि
	(लाख रुपये में)
1995-96	94.4
1996-97	72.7
1997-98	69.0

अनुग्रह सहायता उन नमक विनिर्माताओं को भी दी जाती है जिनके नमक के कारखाने बाढ़, वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई इस प्रकार की सहायता का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	राशि
	(लाख रुपये में)
1995-96	27.0
1996-97	39.9
1997-98	38.0

चालू वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान 3.65 करोड़ रुपये की राशि अनुग्रह सहायता के रूप में उन नमक विनिर्माताओं को प्रदान की गई है। जिनके नमक के कारखाने गुजरात में जून, 1998 में आये चक्रवात से प्रभावित हुए थे।

Restructuring of HMT

66. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Hindustan Machine Tools (HMT) has gone sick;

(b) if so, the reasons for its sickness;

(c) what is the total accumulated losses of HMT;

(d) whether the losses have crossed the total capital and resources;

(e) which units of HMT are making losses and which are making profit; and

(f) whether Government have approved the restructuring plan of the HMT?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

(c) The total accumulated losses of HMT as on 31.03.1998 is Rs. 102.84 Cr.

(d) The losses have not crossed the capital and resouces (Reserves) as on 31.03.1998.

(e) During 1997-98, profit making and loss making Units of HMT are as under:—

Profit making units:

Machine Tools Units at Bangalore, Pinjore & Kalamassery, CNC Systems Division, Bangalore; Central Reconditioning Division, Bangalore; Die Casting & Plastic machinery Division, Bangalore; Press Division, Hyderabad; Tractor Division, Pinjore.

Loss making Units:

Machine Tools Units at Hyderabad & Ajmer; Precision Machinery Division, Bangalore; R&D Centre, Bangalore; Printing Machinery Division, Kalamasery; Food Processing Machinery Unit, Aurangabad; Central Metal Forming Institute, Hyderabad; Watch Factory Units at Bangalore, Srinagar, Tumkur & Ranibagh; Watch Case Divisions at Bangalore & Hyderabad; Watch Battery Project, Lamp Unit, Hyderabad.

(f) HMT is yet to finalise and submit the proposal for Government's consideration.

Law to protect Indian patents

67. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether India propose to introduce a new law to protect Indian patents; and

(b) if so, the steps taken for early protection of national interests by interaction between the scientific establishments and educational institutions?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) In order to implement the obligations contained in TRIPs Agreement of WTO Agreement India has time till January 1, 2000 to amend the Patents Act, 1970 and a further time till January 1, 2005 to introduce product patent protection to areas of technologies not protected so far.

Achievement of targets by PSUs

68. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to revamp Public Sector Undertakings to improve their performance;

(b) whether all the Public Sector Undertakings with whom MOU were entered into during the last three years to achieve targets have succeeded in their objectives;

(c) what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) In order to improve the performance of PSUs considering the multiplicity of the factors involved in the functioning of the PSUs, enterprise-specific measures are taken by the concerned Administrative Ministries for the PSUs under their administrative control. The general steps taken in this regard are given on page 134 of Volume I of Public Enterprises Survey (1996-97) which was placed before the Parliament on 8th June, 1998.

(b) and (c) The objectives of the MOUs is to help PSUs in achieving improvement in performance and to allow PSU reasonable autonomy to function. These objectives have broadly been achieved.

Compliance of WTO ruling

69. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI AKHILESH DAS:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether after years of dithering, India has decided to comply with the World Trade